

कार्यालय, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायपुर (छ.ग.)

// रुचि की अभिव्यक्ति //

आवेदन की अंतिम तिथि - 26 मई 2023 समय सायं 5.00 बजे तक

क्रमांक / DPLC / रु.अभि. / 2023 / 85

रायपुर दिनांक 03/05/2023

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज रायपुर में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना / प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत निम्न सेक्टर/कोर्सों में प्रशिक्षण संचालन के लिए ट्रेनिंग पार्टनर (समस्त लैब सामग्री सेटअप व्यवस्था ट्रेनिंग पार्टनर के द्वारा NSQF के मापदण्डों के आधार पर किये जाने के शर्त पर) चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन केवल रजिस्टर/स्पीडपोस्ट के माध्यम से कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, धरमपुरा रोड, जोरा रायपुर पिन कोड-492012 के पते में दिनांक- 26 मई 2023 को सायं 05.00 बजे तक ही स्वीकार किया जावेगा।

क्र.	सेक्टर का नाम	कोर्स कोड	कोर्स का नाम	रिमार्क
1	Logistics	LSC/Q1122	Documentation Assistant	छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं छ.ग. राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायपुर द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रशिक्षण प्रदाय किया जावेगा।
2	Beauty & Wellness	BWS/Q0202	Hair Stylist (Version 2)	
3	Beauty & Wellness	BWS/Q0301	Bridal Fashion and Photographic Makeup Artist	
4	Media & Entertainment	MES/Q1801	Make-up artist	
5	Automotive	ASC/Q1103	SHOWROOM HOSTESS / HOST	
6	Tourism and Hospitality	THC/Q3006	Multi-cuisine Cook	
7	Domestic Workers	DWC/Q1701	Home Cook	

रुचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने वाली संस्थाओं हेतु अर्हताएं

- संस्था संबंधित उक्त व्यवसाय/व्यवसायों में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (CSSDA) रायपुर (छ.ग.) में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) के रूप में पंजीकृत हो।
या
ऐसे प्रशिक्षण संस्था/प्रतिष्ठान जो उक्त व्यवसायों में शिक्षण/प्रशिक्षण/व्यवसाय करते हो तथा छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कंपनीज एक्ट 1956/ट्रस्ट रजिस्टर्ड एंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत हो (संस्था का पंजीयन विज्ञप्ति प्रसारण के दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष पूर्व का हो)
या
छ.ग. शासन/भारत शासन के अधीन संचालित किसी कौशल विकास कार्यक्रम/योजना का संचालन करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव हो।
- संस्था को पूर्व में राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा Blacklist नहीं किया गया हो। (100 रुपये के स्टाम्प में इस आशय का भापथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र नहीं जमा करने की स्थिति में अपात्र होगा)
- संस्था/प्रतिष्ठान का रुचि की अभिव्यक्ति जारी तिथि से कम से कम तीन वर्ष का चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा Approved ऑडिट रिपोर्ट एवं आयकर विवरणी हो (उसकी सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)

चयन का मापदण्ड

1. संस्थान के पास CSSDA के नवीन गाईडलाईन अनुसार मानव संसाधन-केन्द्र प्रमुख, ट्रेनिंग समन्वयक, नियोजन अधिकारी, मोबिलाईजर, प्रशिक्षक (TOT Cerified) एवं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हो। प्रत्येक पदस्त कर्मचारी का बायोडाटा, आधार कार्ड, शैक्षणिक, अनुभव, टीओटी प्रमाणपत्र (As Applicable) उपलब्ध कराना होगा।
2. संस्था के पास छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मापदण्डों के अनुरूप संबंधित दर्शित कोर्स में प्रशिक्षण संचालन हेतु पर्याप्त अनुभव तथा कुशल अनुभवी प्रशिक्षक (TOT Cerified) हो।
3. प्रयोगशाला/क्लास रूम प्रशिक्षण के आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता के अतिरिक्त On the Job प्रशिक्षण देने की क्षमता एवं सुविधा के लिए किये गये अनुबंध की प्रमाणित प्रति जो उक्त अवधि हेतु मान्य हो एवं संस्था द्वारा हितग्राहियों को मल्टी सर्टिफिकेशन करवाने का प्रबंध। (ऑन द जॉब अनुबंध)
4. पूर्व प्रशिक्षित हितग्राहियों को रोजगार, स्वरोजगार में नियोजन की सत्यापित जानकारी के आधार पर।
5. संबंधित व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने का पूर्व अनुभव।
6. संस्था द्वारा आवेदकों के मोबिलाईजेशन की क्षमता।
7. प्रशिक्षण पश्चात् सफल प्रशिक्षणार्थियों के सेक्टरवार नियोजन हेतु उनके नियोजक का नाम पता एवं उनका दूरभाष एवं ई-मेल आईडी, संभावित मानदेय, नियोजन संख्या आदि का पूर्ण विवरण। (नियोक्ता अनुबंध) नियोजन हेतु अनुबंध की सत्यापित प्रति जो उक्त अवधि हेतु मान्य हो।
8. ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु निर्धारित स्कोर मेट्रिक्स परिशिष्ट-अ' में संलग्न है।
नोट- प्रस्तुत किये गये समस्त डाटा/प्रशिक्षण एवं नियोजन संबंधी सभी जानकारी इस आवेदन के साथ दिये गये फार्मेट की सत्यापित प्रति के रूप में ही जमा करना आवश्यक है। अन्य फार्मेट में दी गई जानकारी एवं Suporting दस्तावेजों की असत्यापित प्रति मान्य नहीं किया जावेगा।

सुरक्षा निधि

चयनित संस्था को राशि रु. 50,000/- (पच्चास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बैंक ड्राफ्ट "District Project Livelihood College Society Raipur" के नाम से देय होगा। सुरक्षा निधि प्राप्त होने के पश्चात् प्रशिक्षण कार्य हेतु बैच आबंटित की जावेगी। ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा संचालित बैचों में यदि किसी प्रकार से राज्य कार्यालय के दिशा-निर्देश अथवा नियमों के उल्लंघन हुआ पाये जाने की दशा में जिला प्रशासन/राज्य कार्यालय के द्वारा ट्रेनिंग पार्टनर पर जमा सुरक्षा निधि से अधिकतम राशि रु. 50,000.00 तक दंड अधिरोपित किया जावेगा। अनुबंध समाप्ति पर सुरक्षा निधि की राशि वापस कर दी जावेगी।

सामान्य शर्तें एवं दायित्व

1. चयनित संस्था को कलेक्टर सह-अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कालेज सोसायटी रायपुर से अनुबंध संपादित करना आवश्यक होगा, जो एक प्रशिक्षण सत्र के लिए होगा, जिसे आवश्यकतानुसार घटाया-बढ़ाया जा सकेगा।
2. चयनित संस्था को प्रशिक्षण संचालन हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के संचालन हेतु तय मानकों के तहत एवं समय-समय पर जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज रायपुर के प्रबंधन द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार ही प्रशिक्षण संचालित करना होगा। चयनित संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्य लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन द्वारा आवश्यकता अनुसार आबंटित किया जावेगा। आवश्यकता नहीं होने पर लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन प्रशिक्षण कार्य संबंधितों को देने बाध्य नहीं होगी।
3. बैच हेतु आवेदन- ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा नियोजक का मांग पत्र, प्रशिक्षक की जानकारी, साप्ताहिक प्रशिक्षण योजना तथा कांऊंसलिंग से संबंधित जानकारी दस्तावेज के साथ लाईवलीहुड कॉलेज कार्यालय में जमा करने के पश्चात् ही ऑनलाईन आवेदन अग्रेषित किया जायेगा।
4. प्रशिक्षणार्थियों के साथ-साथ प्रशिक्षक की उपस्थिति आधार आधारित बायोमेट्रिक के माध्यम से समय उपस्थिति दर्ज कराने की जिम्मेदारी ट्रेनिंग पार्टनर की होगी।
5. प्रशिक्षणार्थियों के लिए Induction Kit (Uniform, ID card) एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक कच्चा सामग्री (एन.एस. क्यू.एफ. आधारित पाठ्यक्रम से संबंधित ट्रेनिंग मटेरियल) की व्यवस्था ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा किया जावेगा।
6. ट्रेनिंग पार्टनर को अनिवार्य रूप से नियमानुसार प्रशिक्षणार्थियों को On the Job प्रशिक्षण देना होगा।
7. ट्रेनिंग पार्टनर को जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज रायपुर प्रबंधन द्वारा नियत समय सारणी के अनुसार ही प्रशिक्षण संचालन करना होगा।

8. संस्था के पास संबंधित सेक्टर/कोर्स का छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण/NSQF के मापदण्डों के अनुरूप योग्यताधारी प्रशिक्षक (TOT Certified) एवं आवश्यक उपकरण (NSQF Guideline व उसके tool list/ CSSDA पोर्टल अनुसार Tool List आधार पर) अनिवार्यतः उपलब्ध हो। प्रशिक्षकों के बायोडाटा एवं उपकरणों की सत्यापित सूची आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
9. सेक्टर/कोर्स विशेष के लिए प्रयोगशाला में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु आवश्यक फर्नीचर एवं उपकरणों की व्यवस्था ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा स्वयं करना होगा।
10. सेक्टर/कोर्स विशेष हेतु प्रयोगशाला की स्थापना करने के लिए किसी प्रकार का अग्रिम अथवा कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
11. चयनित संस्था को प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ से परीक्षा संपादन तक समस्त लिपिकीय कार्य, अनुशासन व्यवस्था, प्रशिक्षणार्थियों/प्रशिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा एवं पेयजल व्यवस्था का दायित्व होगा।
12. गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा, किसी भी समय यह पाया जाता है, कि प्रशिक्षण स्तरीय नहीं है, तो अनुबंध समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।
13. प्रशिक्षणार्थियों के मोबलाईजेशन तथा प्रशिक्षण उपरांत नियोजन की जिम्मेदारी ट्रेनिंग पार्टनर की ही होगी।
14. प्रत्येक ट्रेनिंग पार्टनर एवं उनके स्टाफ को लाइवलीहुड कॉलेज के Code of Conduct एवं नियमों के अनुसार आचरण करना होगा।
15. सफल प्रशिक्षणार्थियों के नियोजन हेतु पूर्णतः जवाबदेही ट्रेनिंग पार्टनर की होगी। प्रशिक्षण उपरांत उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी को 03 माह के भीतर नियोजित करना होगा। 03 माह पश्चात् नियोजित प्रशिक्षणार्थी के लिए प्रशिक्षण शुल्क का क्लेम नहीं किया जा सकेगा। नियोजन का सत्यापन CSSDA द्वारा जारी नवीन गाईडलाइन अनुसार DPLC/DSDA/राज्य कार्यालय द्वारा होगा।
16. संचालित बैचों के नियोजन प्रतिशत के आधार पर लाइवलीहुड कॉलेज द्वारा बैच आबंटित की जाएगी।

ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण

1. चयन नियमों के आधार पर प्राप्त आवेदनों को पात्र/अपात्र ट्रेनिंग प्रदाताओं में सूचीबद्ध कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् चयन हेतु गठित विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा सभी पात्र आवेदनों का चयन मापदण्डों के आधार पर मूल्यांकन करके योग्य ट्रेनिंग पार्टनरों को सूचीबद्ध किया जायेगा।
2. ट्रेनिंग पार्टनर का चयन स्कोर मेट्रिक्स में वर्णित मापदण्डों के मूल्यांकन एवं चयन समिति के अंतिम निर्णय के आधार पर किया जावेगा।

आवेदन की प्रक्रिया

1. संस्थाएँ प्रत्येक सेक्टर हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र के परिशिष्ट अ, ब, स व द भरा जाना अनिवार्य है। साथ ही ब्लेक लिस्ट नहीं होने संबंधी शपथ पत्र 100 रु. स्टैम्प पेपर में दिया जाना अनिवार्य है।
2. आवेदन निर्धारित प्रारूप में निर्धारित तिथि एवं समय तक स्वीकार किये जावेंगे। निर्धारित समय पश्चात् प्राप्त आवेदन को अमान्य कर दिया जावेगा।
3. आवेदन लिफाफा के ऊपर सेक्टर का नाम एवं आवेदित संस्था का नाम एवं पूर्ण पता मोबाइल नंबर सहित अंकित किये जावें।
4. आवेदन पत्र बंद लिफाफा में निर्धारित तिथि/समय तक कार्यालय सहायक परियोजना अधिकारी, जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज रायपुर, धरमपूरा रोड, जोरा, रायपुर (छ.ग.) पिन कोड-492012 में रजिस्टर/स्पीडपोस्ट से जमा करना होगा। व्यक्तिगत रूप से आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार्य होंगे।

शुल्क का भुगतान एवं शर्तें

1. प्रशिक्षण लागत दर निर्धारण एवं भुगतान— मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत प्रशिक्षण लागत दर छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर अनुरूप एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत प्रशिक्षण लागत दर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत निर्धारित दर (PMKVY Cost Common Norms में प्रकाशित दर) अनुरूप निर्धारित किया जावेगा एवं भुगतान संबंधित कौशल विकास योजना की गाईडलाइन द्वारा निर्धारित किस्तों के अनुसार किया जावेगा। (भुगतान योग्य किस्तों की राशि, जिला कौशल विकास प्राधिकरण से प्राप्त हो जाने के पश्चात् किया जावेगा)

2. **प्रशिक्षण राशि का विभाजन :-**राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायपुर का पत्र क्रमांक/914/रापलाकासो/स्था./2020-21 रायपुर, दिनांक 28.01.2021 द्वारा लाईवलीहुड कॉलेज एवं ट्रेनिंग पार्टनर के मध्य प्रशिक्षण राशि के विभाजन के संबंध में क्रियान्वयन एवं अनुपालन हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी की गई है, लागू होगा-

क्र.	लैब लागत राशि	प्रशिक्षण लागत राशि (%)	(A) भवन की उपलब्धता - लाईवलीहुड कॉलेज		(A) भवन एवं लैब सेटअप - लाईवलीहुड कॉलेज	
			(B) प्रशिक्षक एवं समस्त लैब सेटअप, उपकरण, आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था - ट्रेनिंग पार्टनर		(B) प्रशिक्षक एवं लैब के लिए आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था - ट्रेनिंग पार्टनर	
			प्रशिक्षण राशि का भुगतान प्रतिशत (%)			
			लाईवलीहुड कॉलेज	ट्रेनिंग पार्टनर	लाईवलीहुड कॉलेज	ट्रेनिंग पार्टनर
1	10 लाख से अधिक होने की स्थिति में	100	10%	90%	30%	70%
2	10 लाख से कम होने की स्थिति में		15%	85%		

3. छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विभागीय एवं अन्य विभागीय योजनाओं के तहत संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण प्रावधानिक दिशा-निर्देश लागू होंगे तथा इस संबंध में केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देश के यथावत रहेगा।
4. **मुल्यांकन शुल्क (ABN Fee) का भुगतान :-** MMKVY योजनांतर्गत मुल्यांकन शुल्क का भुगतान ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा किया जावेगा। भुगतान की गई मुल्यांकन शुल्क ट्रेनिंग पार्टनर को द्वितीय किस्त के भुगतान में वापस कर दी जावेगी। PMKVY योजनांतर्गत Assessment & Certification Fee का भुगतान लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा किया जावेगा।
5. संस्थायें सफल प्रशिक्षणार्थियों के नियोजन हेतु पूर्णतः जवाबदेह होंगी। प्रशिक्षण उपरांत उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी को 03 माह के भीतर नियोजित करना होगा। 03 माह पश्चात् नियोजित प्रशिक्षणार्थी के लिए प्रशिक्षण शुल्क का क्लेम नहीं किया जा सकेगा।
6. कुल सफल प्रशिक्षणार्थियों में से 70 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों का वेतन मूलक रोजगार होना आवश्यक होगा। ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा तृतीय किस्त हेतु भुगतान का दावा अंतर्गत नियोजित युवाओं के विरुद्ध प्रत्येक भुगतान दावे में 70 प्रतिशत वेतन मूलक या अधिक हितग्राहियों का नियोजन प्रस्तुत करना होगा। रोजगार/स्वरोजगार नियोजन के सत्यापन हेतु राज्य कार्यालय द्वारा मान्य नवीन गाईड लाईन के अनुसार दस्तावेज यथा-ऑफर लेटर, नियुक्ति पत्र, प्रोपराइटरशीप का प्रमाण पत्र, ट्रेड लाईसेंस, जीएसटी संख्या आदि प्रस्तुत करना होगा।
7. नियोजित किये गये युवाओं के ट्रेकिंग में जानकारी गलत पाये जाने की स्थिति में आर्थिक दण्ड का प्रावधान होगा, जो सुरक्षा निधि में से अधिरोपित किया जा सकेगा।
8. ट्रेनिंग पार्टनर को प्रत्येक किस्त प्रशिक्षण राशि के मांग हेतु देयक प्रस्तुत करना होगा। ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा प्राप्त देयक के आधार पर लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा जिला कौशल विकास अधिकरण रायपुर/राज्य कार्यालय से संबंधित राशि की मांग की जावेगी। राशि प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस में भुगतान की जावेगी।
9. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर जिला रायपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। EOI निरस्त करने/लोकहित में उपर वर्णित शर्तों में परिवर्तन का अधिकार निदेशक सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी लाईवलीहुड कॉलेज के पास सुरक्षित है।

A.

कलेक्टर सह अध्यक्ष
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज रायपुर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु Score Matrix

परिशिष्ट-अ'

जॉबरोल/कोर्स/सेक्टर के आधार पर विवरण भरा जावे

क्रं.	विवरण	स्कोर विभाजन		अधिकतम स्कोर	आवश्यक प्रपत्र	रिमार्क
1	संस्था द्वारा पूर्व में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय का अनुभव	1-3 वर्ष तक	5	15	Work Order/ Related Documents/ कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र	शासन द्वारा जारी कार्यदेश की प्रति सत्यापित
		3-5 वर्ष तक	10			
		05 वर्ष से अधिक	15			
2	आवेदित कोर्स में पूर्व में प्रमाणितकृत प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या	50 - 100 तक	3	15	Related Documents	पोर्टल के प्रमाणित दस्तावेज की प्रति
		101 - 200 तक	5			
		201-500	10			
		501 से अधिक	15			
3	आवेदित कोर्स में पूर्व में रोजगार एवं स्वरोजगार की स्थिति (%)	कोर्स में प्रशिक्षित हितग्राहियों के 20%-40% तक	3	10	Related Documents	सेक्टरवार-कोर्सवार/ योजनावार वित्तीय वर्षवार नियोजित हितग्राहियों की संख्यात्मक जानकारी
		41%-70% तक	6			
		70% से अधिक	10			
4	Trainer	ट्रेनर का वैध TOT सर्टिफिकेट	15	15	ToT certificate	Trainer Education certificate & Valid TOT Certificate नियुक्ति पत्र
		केवल आश्रयक शैक्षणिक योग्यता सर्टिफिकेट	5		Related Documents	
5	आवेदित कोर्स/सेक्टर में रोजगार हेतु उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर (नियोजक संस्थान से अनुबंध के आधार पर)	200 रिक्तियों से अधिक	20	20	MOU/any legal document regarding tie up with companies	Attach Company wise list in participating Sector on Employer Letter Head
		101-200 रिक्तियों तक	15			
		30 से 100 रिक्तियों तक	10			
		5 से 29 रिक्तियों तक	5			
6	आवेदित कोर्स/सेक्टर में ऑन जॉब प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध सीट की संख्या(नियोजक संस्थान से अनुबंध के आधार पर)	200 रिक्तियों से अधिक	20	20	MOU/any legal document regarding tie up with companies	Attach Company wise list in participating Sector on Employer Letter Head
		101-200 रिक्तियों तक	15			
		30 से 100 रिक्तियों तक	10			
		5 से 29 रिक्तियों तक	5			
7	छ0ग0 राज्य में प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में कार्यरत पंजीकृत संस्था के लिए	-	5	5		
			कुल अंक	100		

टीप:- 1.स्कोर मेट्रिक्स के कुल अंक 100 में पात्रता हेतु संस्था को न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2. यदि दो संस्थानों को बराबर अंक प्राप्त होते हैं, तो संस्था के चयन का अनुबंध निम्नानुसार होगा :-

- छ0ग0 राज्य में प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में कार्यरत पंजीकृत संस्था के लिए
- आवेदित कोर्स में पूर्व में रोजगार एवं स्वरोजगार की स्थिति (%)
- आवेदित कोर्स में पूर्व में प्रमाणितकृत प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायपुर के लिए ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु आवेदन पत्र

सेक्टर/कोर्स का नाम चैनल पार्टनर बनने हेतु।

1. संस्था का नाम :
2. संस्था का नाम VTP क्रमांक/पंजीयन क्रमांक :
(पूर्ण पता एवं दूरभाष एवं ई-मेल सहित) :
(यदि संस्था एक से अधिक स्थलों में VTP के रूप में पंजीकृत है तो सभी की जानकारी, संस्था प्रमुख का नाम पता, दूरभाष नंबर की जानकारी देवे) :
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : जिला/संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश/.....
4. संस्था किन-किन व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु VTP के रूप में पंजीकृत है (उल्लेखित करें)। :
5. कोर्स अनुसार प्रशिक्षकों व अन्य कर्मचारी की जानकारी की सूची बायोडाटा, नियुक्ति पत्र सहित संलग्न करें। (परिशिष्ट 'अ'(V)अनुसार) :
6. कोर्स अनुसार उपलब्ध उपकरणों की सूची संलग्न करें :
7. कोर्स अनुसार संस्था का प्रशिक्षण अनुभव (कार्यादेश की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें) :
(परिशिष्ट 'अ' (I)अनुसार)
8. पूर्व प्रशिक्षणार्थियों के रोजगार/स्वरोजगार की जानकारी :
(परिशिष्ट 'अ' (II)अनुसार)
9. नियोजन हेतु अनुबंध किये गये कम्पनियों/संस्थानों का विवरण (परिशिष्ट 'अ' (III)अनुसार) :
10. OJT हेतु कम्पनियों का विवरण :
(परिशिष्ट 'अ' (IV)अनुसार)
11. संस्था का अंकेक्षण प्रतिवर्दन (विगत तीन वर्षों का) :
(वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 के आयकर विवरणी व ऑडिट रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें)
12. संस्था का PAN, TAN & GST :
(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
13. संस्था के बैंक खाते का विवरण :
14. अन्य विवरण :

टीप :- आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर संलग्न करें।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

घोषणा पत्र

एतद् द्वारा संस्था यह घोषणा करता है कि उपरोक्त आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी सत्य हैं। ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में चयन की स्थिति में समस्त निर्देशों का पालन संस्था करेगी। यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो हमारी दावेदारी किसी भी चरण में निरस्त किया जा सकता है, जिसके लिये हम स्वयं जिम्मेदार होंगे।

स्थान

दिनांक

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

परिशिष्ट – 'अ'(I)

संस्था के कौशल प्रशिक्षण अनुभव की जानकारी –

क्रमांक	सेक्टर का नाम	जॉबरोल/कोर्स का नाम	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	प्रमाणित प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या	कायक्षेत्र (जिला एवं राज्य का स्पष्ट उल्लेख करें)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							

नोट:- अनुभव दर्शित अवधि से संबंधित योजना/विभाग से अधिकृत कार्यदेश/अनुबंध की सत्यापित प्रति एवं प्रशिक्षित हितग्राहियों से संबंधित पोर्टल प्रति संलग्न करें।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

परिशिष्ट – 'अ'(II)

संस्था द्वारा की गई सेक्टर/कोर्सवार सफल प्रशिक्षणार्थी के नियोजन की जानकारी –

क्रमांक	जॉबरोल/कोर्स का नाम	नियोक्ता का नाम एवं पता दूरभाष नं. व ई-मेल सहित	नियोजित प्रशिक्षणार्थी की संख्या	न्यूनतम मासिक वेतन	रिमार्क
1	2	2	3	4	
1					
2					

नोट:- नियोजन किये गये प्रशिक्षणार्थियों का नियुक्ति पत्र/नियोजन संबंधी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलग्न करें। आवश्यक Supporting दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाने पर मुल्यांकन अंक नहीं दिया जावेगा।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

परिशिष्ट – 'अ'(III)

आवेदित सेक्टर/जॉबरोल के नियोजन हेतु कंपनियों/ संस्थानों से अनुबंध की जानकारी-

क्रमांक	सेक्टर का नाम	जॉबरोल/कोर्स का नाम	प्रभावी वित्तीय वर्ष के लिए	नियोक्ता की जानकारी				रिमार्क
				नियोक्ता का नाम एवं पूर्ण पता	उपलब्ध नियोजन अवसर का पद नाम	उपलब्ध रिक्तियों की संख्या	न्यूनतम मासिक वेतन	
1	2	3	5	6	7			8
1								
2								

नोट:- नियोजन हेतु किया गया अनुबंध वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं उसके बाद की अवधि का होने पर ही मान्य किया जावेगा। साथ ही संबंधित कंपनी/संस्थान के लेटर हेड पर संपर्क नम्बर सहित की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

परिशिष्ट – 'अ'(IV)

आवेदित सेक्टर/जॉबरोल के ऑन जॉब प्रशिक्षण हेतु कंपनियों/संस्थानों से अनुबंध की जानकारी-

क्रमांक	सेक्टर का नाम	जॉबरोल/कोर्स का नाम	प्रभावी वित्तीय वर्ष के लिए	संस्था की जानकारी				रिमार्क
				संस्था का नाम एवं पूर्ण पता	ऑन जॉब प्रशिक्षण का स्थान	ऑन जॉब प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध सीट की संख्या	ऑन जॉब प्रशिक्षण हेतु दिवसों की संख्या	
1	2	3	5	6	7			8
1								
2								

नोट:- ऑन जॉब प्रशिक्षण हेतु किया गया अनुबंध वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं उसके बाद की अवधि का होने पर एवं संबंधित जॉबरोल/कोर्स का ही मान्य किया जावेगा। साथ ही संबंधित कंपनी/संस्थान के लेटर हेड पर संपर्क नम्बर सहित की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

परिशिष्ट – 'अ'(V)

कोर्समें प्रशिक्षण कार्य में नियोजित किये जाने वाले प्रशिक्षकों की जानकारी

क्र.	प्रशिक्षक का नाम	शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता	अध्यापन का विषय/कोर्स	कार्यानुभव	CSSDA द्वारा मान्यता प्राप्त वैध TOT Certificate है या नहीं	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	
1						
2						
3						
4						
5						

नोट:- कृपया आवेदन के पूर्व प्रशिक्षकों की योग्यता को NSQF कोर्स के आधार अवश्य जांच लें। प्रमाणीकृत प्रशिक्षक के टीओटी सर्टिफिकेट , अनुभव एवं नियुक्ति संबंधी दस्तावेज की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

अन्य कर्मचारी की जानकारी

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता	कार्यानुभव	रिमार्क
1	2	3	4	5	
1					
2					
3					
4					
5					

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)